प्रेषक,

समस्त प्राध्यापक / कार्मिक
राजकीय महाविद्यालय/राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हल्दूचौड़, नैनीताल

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा ,
उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय
हल्द्वानी (नैनीताल)।

द्वारा: प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय/राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्दूचौड़
नैनीताल उत्तराखण्ड।

विषय: **पूर्व व्यवस्था के अनुरूप राजकीय महाविद्यालयों में निर्धारित समय पर 60 दिनों का दीर्घवाकाश (30 कार्य - दिवस शीतावकाश तथा 30 कार्य दिवस ग्रीष्मावकाश) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में तथा मोबाइल एप द्वारा डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने हेतु असहमति के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निम्नान्कित बिन्दुओं पर महोदय का ध्यान आकर्षित करना है –

1. निवेदन है कि उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में 60 कार्य दिवसों का दीर्घवाकाश घोषित किये जाने की व्यवस्था है किन्तु विगत वर्ष 2022 से उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में प्रचलित इस व्यवस्था में बिना किसी शासकीय आदेश अथवा शासनादेश के परिवर्तन किया गया और राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों में 14.1 और 14.2 के अनुसार 10सप्ताहों (6 कार्यदिवसों का एक सप्ताह) अथवा 60 दिनों के दीर्घवाकाश (30 कार्य दिवस शीतावकाश तथा 30 कार्यदिवस ग्रीष्मावकाश) में कटौती की गयी है ! यह न सिर्फ़ राज़कीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के अधिकारों का हनन है बल्कि राज़कीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के परिवार के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का भी हनन है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों में 14.1 और 14.2 के अनुक्रम में राजकीय महाविद्ययों में 10सप्ताहों (6 कार्यदिवसों का एक सप्ताह) के अनुसार कुल 60 कार्यदिवसों की दीर्घवाकाश की व्यवस्था है। दीर्घवाकाश को 30 कार्य दिवस शीतावकाश तथा 30 कार्यदिवस ग्रीष्मावकाश में विभाजित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018 तथा 2022 की सिफारिशों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। वहीँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों में 14.1 और 14.2 में विश्वविद्यालयों में दीर्घवाकाश के सम्बन्ध में पृथक व्यवस्था उल्लिखित है।

3. अवगत है की माननीय उच्च न्यायालय, **नैनीताल** ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों में लागू होने वाले शैक्षणिक कलेण्डर को बनाने तथा शैक्षणिक कलेण्डर को लागू करना विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में माना है, जैसा कि छात्र संघ निर्वाचन के सम्बन्ध में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश पारित किये गए हैं।

4. बिंदु संख्या 1 से 3 का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है की उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों 14.1 और 14.2 के अनुरूप प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में दीर्घवाकाश के सम्बन्ध में अलग-अलग व्यवस्था के लिए शिफरिशें लागू हैं, अस्तु विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कलैण्डर के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में दीर्घवाकाश घोषित हों यह उचित नहीं।

5. यह भी स्पस्ट है की विश्वविद्यालय केवल राजकीय महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने, परीक्षा कार्यक्रम संपन्न करवाने तथा शैक्षणिक कलैण्डर के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं का पाठ्यक्रम समय से पूर्ण करने हेतु आग्रह कर सकता है, ना ही कोई आदेश मात्र ही प्रेषित कर महाविद्यालय की व्यवस्था/अनुशासन में हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही उच्च शिक्षा निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, अथवा सहायक निदेशक के साथ ही राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के संवैधानिक अधिकारों में आनावाश्यक हस्तक्षेप करने का अधिकार धारित करता है।

6. प्रदेश के विश्वविद्यालय अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं के कारण यदि अपने शैक्षणिक कलैण्डर के अनुसार निर्धारित समय से प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा फ़ार्म भरवाने की प्रक्रिया, परीक्षा संपन्न करवाने के साथ ही परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा डिग्री प्रेषण/उपलब्ध करने में असफल हो रहे हैं, तो विश्वविद्यालय अपने परिसरों में उक्त सभी कार्यों समय से संपन्न करवाने के लिए अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर केवल अपने शैक्षणिक परिसरों में संचालित होने वाली गतिविधियों अथवा दीर्घावकाश अवकाश आगे पीछे घोषित कर सकते हैं ना ही विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में। राजकीय महाविद्यालयों में होने वाले समस्त कार्य जिसमें दीर्घावकाश सम्मिलित हैं केवल शासकीय आदेश अथवा उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशों से प्रभावित हो सकते हैं।

7. बिंदु संख्या 5, 6 व 7 के आलोक में यह भी रेखांकित करना है, क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन 2018 तथा 2022 को अंगीकृत किया गया अत: स्पस्ट है की प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन 2018 तथा 2022 की सिफारिशों में 14.1 और 14.2 के अनुरूप 10सप्ताहों (6 कार्यदिवसों का एक सप्ताह) के अनुसार कुल 60 कार्यदिवसों की दीर्घावकाश 30 कार्य दिवस शीतावकाश तथा 30 कार्यदिवस ग्रीष्मावकाश में घोषित किया जाना उचित होगा।

8. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 35798/XXIV -C-1/2025-12(12)/2022 (E-33069) दिनांक 02 जनवरी 2026 एवं निदेशालय उच्च शिक्षा के पृष्ठांकन संख्या- डिग्री विविध/5642/2025-26, दिनांक 06 जनवरी 2026 द्वारा उत्तराखंड राज्य के महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों हेतु मोबाइल एप के माध्यम से अनिवार्य डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में हम समस्त प्राध्यापक कार्मिक विनम्रतापूर्वक अपनी असहमति व्यक्त करते हैं।

9. प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण अधिकांश महाविद्यालय में इंटरनेट/नेटवर्क और मोबाईल नेटवर्क अस्थिर रहता है जिस कारण मोबाइल एप से उपस्थिति दर्ज कराना जटिल कार्य हो जाता है।

10. वर्तमान में प्रचलित बायोमेट्रिक एवं रजिस्टर-आधारित प्रणालियाँ सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं, अतः नई प्रणाली का अनिवार्य किया जाना तकनीकी निर्भरता एवं दोहराव के साथ ही साइबर असुरक्षा को बढ़ावा दे सकता है अथवा कार्मिकों का साइबर ठगी से प्रभावित होने की संभावनाओं के कारणों को बल दे सकता है।

11. आधार संख्या आधारित मोबाइल एप के उपयोग से कार्मिकों की निजता, व्यक्तिगत डेटा चोरी, साइबर असुरक्षा के साथ व्यक्तिगत असुरक्षा तथा लोकेशन-ट्रैकिंग संबंधी चिंताएँ गंभीर रूप से उत्पन्न होती हैं, जो कार्मिकों में साइबर अपराधों के भय का कारण बनने के साथ ही मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकती हैं।

12. आधार से जुड़े बैंकिंग सम्बन्धी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्मिकों के डेटा की असुरक्षा एवं गोपनीयता के संदर्भ में अतिरिक्त असंवेदनशील घटनाओं और आर्थिक हानि के जोखिम उत्पन्न होने का कारण हो सकती हैं।

अतः महोदय से अनुरोध है कि, उपरोक्त बिंदुओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता तथा गहनता से विचार कर आपके अधीन राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिकों तथा कार्मिकों की पारिवारिक सुरक्षा के दृष्टिगत उपरोक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर सहित।

Anita Singh 10-01-2026

प्राचार्य ला० ब० शा० राजकीय महाविद्यालय/राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्दूचौड़, नैनीताल!

लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़ (नैनीताल)

भवदीय,
समस्त प्राध्यापक/कार्मिक

हस्ताक्षर प्राध्यापक/प्राध्यापिका -

1. डॉ० अरुण कुमार चतुर्वेदी असि० प्रो० बी० एड० [signature] 10/01/2026

2. डॉ० संजय कान्डपाल असि० प्रो० [signature]

3. डॉ० हेमलता गोस्वामी असि० प्रो० Hemlata 10/1/26

PTO

4.	डॉ॰ भगवती देवी	असि॰ प्रो॰	Bhagwati
5.	Dr. Pradeep Kumar	Assistant Professor	[signature]
6.	" Manoj Kumar Joshi	Asst. Pro.	[signature]
7.	Dr Chandra Kanta	Guest Faculty	[signature]
8-	Dr. Saroj Pant	Assi. Profe.	[signature]
9-	Ganesh Nath Goswami ...	प्रे आरक्षक	[signature]
10-	लक्ष्मी भण्डारी	प्रो॰सहा॰	
11-			लक्ष्मी
12-	उमाशंकर दुम्का	अनुसेवक	उमाशंकर
13-	Dr. Manoj Kumar Pant	Asst. Professor	PS
14.	Dr. L. M. Pandey	Prof.	[signature]
13-	कमला जोशी		
14.	Dr. Asit Kumar Sahu	Asst. Prof.	[signature]
15.	Dr. Kamdeshwar	Prof	Kam
16.	श्रीमती हेमा जोशी	प्रशा॰ सहा॰	[signature]
17.	Dr Neelam Kanwal Jalal	Asst. prof	Kanwal
18.	Dr. Geeta Tiwari Pandey	"	[signature]
19)	Dr Upendra Singh		[signature]
20,	Jagat Singh Bisht.		[signature]
21-	Mr. Harish Joshi	—	Joshi
22-	Dr. S. M. Pant		[signature]
23-	DR. Bharat Singh	Assit. Prof.	[signature]
24.	Dr. Manju Joshi	Asst Prof	MJoshi
25.	Dr. Kamla Pande	"	Pande
26.	Dr. Reeta Durgapal	Asst. Pro.	[signature] 10/01/2026
27	Mr. R. K. Sanwal	Asst. Prof	[signature] 10/01/2026
28.	Dr. B. C. Joshi	Asso. Professor	[signature]
29.	Dr. Pappu Sagar	Asst. Professor	[signature]